राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक 10 (18)वन/2024/राजकाज 08061 जयपुर, दिनांक 02 JAN 2025

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री बजट भाषण की घोषणा बिन्दू संख्या 45(1)अनुसार *Multi Sectoral Programme*के रूप में मिशन ''हरियालो राजस्थान'' को साकार करने की घोषणा कर प्रदेश में प्रतिवर्ष 10 करोड़ पौध वितरित कर लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने, प्रदेश में कृषि–वानिकी को विकसित करने,ग्लोबल वार्मिंग को कम करनेतथा भारत वर्ष में 2070 तक कार्बन तटस्थता तक पहुचांने में राजस्थान प्रदेश की अग्रिम भुमिका निभाते हुऐ सतत विकास की ओर अग्रिणी राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु मिशन ''हरियालो राजस्थान''को क्रियान्वित करते हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते है:–

(1)मिशन हरियालो राजस्थान हेतु सगठनात्मक संरचना

योजना को क्रियान्वित करने,सतत निगरनी करने एवं समस्त लक्ष्यों एवं उद्धदेश्यों की सफल प्राप्ति हेतु तीन स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा:–

क्र. स.	टास्क फोर्स	अध्यक्ष	सदस्य सचिव
1	राज्य स्तरीय टास्क फोर्स	मुख्य सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, **पर्यावरण**एवं **जलवायु**परिर्वतन विभाग/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
2	जिला स्तरीय टास्क फोर्स	जिला कलक्टर	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक)
3	उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स	उपखण्ड अधिकारी	संबधित क्षेत्रीय वन अधिकारी (प्रादेशिक)

उक्त तीनों टास्क फोर्स में ग्रामीण विकास एवंपंचायती राज विभाग,कृषि एवं उद्यानिकी विभाग,उद्य ोग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग,जल संसाधन विभाग, जनजातीय स्तरीय विकास विभाग,नगरीय विकास, स्वायत शासन विभाग,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के मनोनित सक्षम अधिकारी,सदस्य होगे एवं संबधित अध्यक्ष द्वारा मनोनित जन प्रतिनिधियों,गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि एवं अन्य आमंत्रित विशेषज्ञ भी सदस्य होंगे।

(2)10 करोड पोधौ के लक्ष्य का विभागवार एवं क्षेत्रवार आवंटन

- योजना अन्तर्गत 3 करोड़ पौधे गोचर, ओरण तथा चारागाह,3 करोड़ पौधे विभिन्न शहरी क्षेत्रो में तथा **2 करोड पौधे संस्थागत एवं निजी भूमिपर तथा 2 करोड़ पौधे वन भूमि पर** लगाने हेतु उपलब्ध कराये जायेगे। साथ ही उक्तानुसार विभिन्न विभागों को उक्त क्रम में पौधरोपण के लक्ष्य निर्धारण राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा किया जायेगा। यह प्रक्रिया वृक्षारोपण वर्ष से पूर्व वर्ष में अक्टूबर माह तक पूरी कर ली जाएगी। प्रत्येक आंवटित पौधे के लक्ष्य के विरूद्व पौधा प्राप्त करने से लेकर, उसे रोपित कर समुचित रखरखाव करते हुये, विकसित होने तक की समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभाग/संस्था की रहेगी।

RajKaj Ref No.: 12794018

(3)वृक्षारोपण हेतु सूक्ष्म नियोजन एवं योजना का अनुमोदन

- योजना का उद्देश्य प्रदेश में वृक्षावरण एवं वृक्षो के घनत्व को विस्तारित करना, राज्य में किसानों की आय में वृद्धि करते हुए कृषि प्रणालियों के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए कृषि वानिकी का उपयोग करना,रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि करना,वृक्ष आधारित उद्यमों में बढोत्तरी एवं कार्बन क्रेडिट की बिक्री कोबढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना एवं पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं का सृजन,वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए राजस्थान में वृक्षारोपण को बढ़ाना है।
- उक्त क्रम में समस्त विभागो द्वारा गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करते हुए अपने आंवटित लक्ष्य अनुसार अपने क्षेत्राअधिकार अधीन उपयुक्त वृक्षारोपण स्थलो का सटीक चयन किया जायेगा। साथ हीविभाग के एक स्थाई कर्मचारी को प्रत्येक चयनित कार्यस्थल हेतु वृक्षस्थलप्रभारी नियुक्त किया जाएगा।
- कार्य स्थल का चयन करते वक्त पौधे की सुरक्षा हेतु फेंसिग/सुरक्षा दीवार/बाड़–बंदी की प्रभावी व्यवस्था होना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही वृक्षारोपण स्थल पर लगाये गये पौधो के निरन्तर संधारण, निगरानी, पानी पिलाने इत्यादि की समूचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाकर चयनित कार्य स्थल को संबंधित वृक्षस्थल प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- संबंधित उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा स्थानीय मांग, संस्कृति एवं परम्पराओं, भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के मध्य नजर विभागवार आंवटित लक्ष्य के अनुसारउपयुक्त पौधों की प्रजातियों कानिर्धारण किया जायेगा। प्रजातियो के चयन में एक जिला एक प्रजाति मुहिम के तहत जिले के पंच गौरव के अन्तर्गत चयनित प्रजाति को विशेष महत्व दिया जायेगा।
- उपरोक्त समस्त बिन्दुओं का समावेशकरते हुयेप्रत्येक संबधित उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा समस्त तकनिकी, वित्तीय आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनो का आंकलन कर एक वार्षिक सूक्ष्म नियोजन योजना बनायी जायेगी, जिसका अनुमोदन जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा वृक्षारोपण वर्ष से पूर्व दिसंबर माह तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(4)पौध रोपण हेतु पौधो की उपलब्धता

- प्रत्येकउपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स उसकी अनुमोदित सूक्ष्म नियोजन योजना अनुसार प्रजातिवार आवश्यक पौधो की संख्या की मांग, संबधित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत करेगी।
- संबधित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा जिले में वितरण हेतु राजकीय विभागो की नर्सरियों में उपलब्ध पौधों को प्राथमिकता देते हुये विभागवार वितरण हेतु आंवटित लक्ष्य के विरूद्व आरक्षित कर दिया जायेगा। राजकीय विभागो की नर्सरियों में उपलब्ध पौधो की दरें अनुमोदित की जाकर निम्नानुसार तय की जाती है:–

क्र. स.	विवरण	प्रस्तावित दर प्रति पौधा (रूपयें में)
1	कांटेदार प्रजाति के पौधे	5.00
2	छायादार एवं चौडी पत्ती वाले पौधे	
	एक वर्ष तक के पौधे:– 2 फीट की उॅचाई तक के पौधे 2 फीट सेउपर एवं 3 फीट की उॅचाई तक के पौधे	 6.00 10.00

RajKaj Ref No.: 12794018

	एक वर्ष से दो वर्ष तक के पौधेः– 3 फीट से उपर एवं 5 फीट की उचाई तक के पौधे (बडी थैलियो में) 5 फीट से उपर एवं 8 फीट की उचाई तक के पौधे(बडी थैलियो में)	 15.00 25.00
	दो वर्ष से अधिक के पौधेः– 8 फीट से उपर एवं 10 फीट की उचाई तक के पौधे बडी थैलियो में) 10 फीट से उपर उचाई तक के पौधे	 50.00 75.00

- **राजकीय भूमि/सार्वजनिक भूमि/संस्थागत भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए इच्छुक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभागों/राजकीय उपक्रम को 50 प्रतिशत रियायती दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।**
- राजकीय विभागो की नर्सरियों में लक्ष्य अनुसार अनुमोदित प्रजातियों के पौधे उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा उक्त अनुमोदित दरों की सीमा तक संबधित प्रजातियों के पौधे विभिन्न वृक्षारोपण कार्य स्थलों तक वृक्षारोपण वर्ष की निर्धारित तारीख तक संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने हेतु खुली निविदाआमंत्रित की जायेगी एंव न्यूनतम दर पर पौधे उपलब्ध कराने वालो निविदाकर्ता को सफल घोषित किया जाकर सर्शत कार्य आदेश जारी किया जावेगा।निविदा मुल्यांकन करते समय राजस्थान राजकोष में देय करों को छोड़कर अन्य समस्त करों को सम्मलित किया जाएगा एवं नियमानुसार राजस्थान की लघू उद्योग इकाईयो (MSME) को प्राथमिकता दी जाएगी।

  राजकीय विभागों की नर्सरियों में लक्ष्यानुसार अनुमोदित प्रजातियों के पौधे उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा उक्त अनुमोदित दरों की सीमा तक संबंधित प्रजातियों के पौधे विभिन्न वृक्षारोपण कार्य स्थलों तक संबंधित वृक्षारोपण वर्ष की निर्धारित तारीख तक संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 में विहित प्रावधानानुसार/नियमानुसार उपापन प्रकिया अपनाई जाकर पौधे उपलब्ध कराने वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित किया जाकर नियमानुसार आदेश जारी किया जावेगा।
- उक्त दोनो प्रक्रिया क्रमशःअपनाने के बाद भी यदि किसी चयनित प्रजाति के पौधे निर्धारित दरो की सीमा तक उपलब्ध नही हो पाते तो दरो की सीमा में शिथिलता के प्रस्ताव जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को अनुमोदनार्थ भेजे जायेगे। अनुमोदन पश्चात उक्त पौधो का क्रय राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड **जिला स्तरीय टास्क फोर्स** द्वारा किया जाकर संबधित वृक्षारोपण स्थल पर निर्धारित समय पर संबधित विभाग को उपलब्ध कराये जायेगे।
- जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की आंवटित लक्ष्यों के विरूद्व पौधो की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर सशर्त कार्यआदेश जारी करते हुये वृक्षारोपण हेतु सभी आवश्यक पौधे वृक्षारोपण वर्ष के जनवरी माह तक आरक्षित कर लिये जाये। उक्तानुसार सभी आपूर्तिकर्ता जारी सशर्तकार्यआदेश के अनुसार पौधों को गुणवत्ता पूर्वक उपयुक्त उंचाई तक विकसित कर पौधरोपण हेतु निश्चित तारीख तक संबंधित वृक्षारोपण स्थल पर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, जिसका भुगतान संबधित विभाग द्वारा सफल वृक्षारोपण पश्चात विस्तारित वित्तीय स्वीकृति के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। वृक्षारोपण स्थल पर पहुंचाने के बाद भी सफल वृक्षारोपण पूर्ण होने तक पौधों के संधारण की जिम्मेदारी संबंधित सफल निविदाकर्ता की होगी।

(5)<u>मौका स्थल पर वृक्षारोपण पूर्व की तैयारियाँ</u>

RajKaj Ref No.: 12794018

- समस्त संबधित विभाग अपने आंवटित लक्ष्य अनुसार चयनित मौका स्थल पर वृक्षारोपण से पूर्व की समस्त तैयारियाँ संबधित वृक्षारोपण वर्ष के मई माह तक किया जाना सुनिश्चित करेगें।इसकी पालना प्रत्येक उपखण्ड टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी।
- प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर संबधित उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा समय–समय विभिन्न स्थलों पर व्यापक तौर पर समस्त विभागों एवं जन साधारण हेतु तकनिकी कार्यशालाऐं आयोजित की जायेगी एवं खोदे गये गढे,मिटटी के उपचार आदि समस्त कार्यो की समस्त निगरानी की जाकर समस्त चयनित स्थलों को सरकार द्वारा निर्देशित हरियालो राजस्थान मोबाईल ऐपेलीकेशन (APP) पर भी अपलोड किया जायेगा। समस्त संबंधित वृक्षस्थल प्रभारी मनोनित वनमित्रों की सहायता से पालना सुनिश्चित करेगे।
- प्रत्येक जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा यह सुनिश्चित किया जयेगा की समस्त वृक्षारोपण स्थलो पर वृक्षारोपण से पूर्व की समस्त तैयारियाँ पूरी कर ली गई है एवं समस्त वृक्षारोपण स्थलो पर पौधो की उपलब्धता का सत्यापन उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कर लिया है।
- समस्त विभागो द्वारा आंवटित लक्ष्य के विरूद्व वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त कर्मचारियों, स्वयसेवको, एवं जन साधारण, की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये चिह्नित करने की कार्यवाही उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स के साथ वृक्षारोपण वर्ष के मई माह में ही पूरी कर ली जायेगी।

(6) <u>नियत अवधि में वृक्षारोपण कार्य</u>

- राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा तात्कालीन मौसम,मानसून के आगमन एवं राजस्थानी संस्कृति एवं परंम्पराओं के मध्य नजर वृक्षारोपण प्रारम्भ करने की तिथि हर वर्ष घोषित की जाएगी जिसे प्रदेश भर में *'हरियालो राजस्थान महोत्सव'* के रूप में व्यापक तौर पर मनाया जायेगा।
- प्रत्येकउपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स यह सुनिश्चित करगी प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल पर अधिक से अधिक जन भागीदारी के सहयोग से सम्पूर्ण वृक्षारोपण लक्ष्यों को सही तकनिकी रूप से निश्चित अवधि में पूरा कर लिया जावें।इसमें वृक्षस्थल प्रभारियो एवं वनमित्रों की मुख्य जिम्मेदारी रहेगी।
- वृक्षारोपण स्थल पर प्रत्येक पौधे के साथ प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट बार कोड/क्यू आर कोड रक्षा सूत्र के साथ उपलब्ध करया जायेगा। सफल वृक्षारोपण के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति लगाने गये पौधे के इर्द गिर्द *"हरियालो राजस्थान"* प्रतिज्ञा लेते हुये क्यूआर कोड लगा हुआ रक्षा सूत्र बाधेंगा।
- प्रत्येक लगाये गये पौधे की मैपिंग उस पर लगे क्यूआर कोड से हरियालो राजस्थान ऐप पर उसी समय की जायेगी जिसमें प्रत्येक पौधे की प्रजाति, फोटो, जीपीएस निर्देशांक, रोपित करने वाले व्यक्ति का नामएवं सेल्फी फोटो अपलोड कर दी जायेगी। प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल प्रभारी यह सुनिश्चित करेगे की उनके अधीन लक्ष्य अनुसार समस्त पौधे क्यूआर कोड सहित सफलतापूर्वक रोपित कर दिये गये है एवं सभी मैपिंग हरियालो राजस्थान ऐप पर कर दी गई है।

(7)<u>समापन कार्यक्रमएवं लाईव पोर्टल</u>

- प्रत्येकउपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स सितंबर माह के अन्त तक अपनी वृक्षारोपण रिपोर्ट जिला स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत करेगी। वृक्षारोपण रिपोर्ट में समस्त वृक्षारोपण स्थलों का विस्तृत विवरण, लगायें गये समस्त पौधो की विशिष्ट क्यूआर कोड सही विस्त्त सूची एवं कार्यक्रम के अन्य अहम बिन्दू सम्मलित होगे।

RajKaj Ref No.: 12794018

- जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित तिथि को समस्त रोपित पौधो को ऑन लाईन पार्टल पर राजस्थान के जीवन्त मानचित्र पर सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया जायेगा। सभी व्यक्ति संबधित क्यूआर कोड के माध्यम से लगाये गये पौधे की सटीक प्रजाति फोटो एवं निर्देशांक किसी भी स्थाान से निरन्तर देख सकेंगें।
- समापन कार्यक्रम में उत्कृष्ट विभिन्न स्तरो पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागो,संस्थाओ,व्यक्यिों को संबधित टास्क फोर्स द्वारा *हरियालो राजस्थान पुरस्कार* से सम्मानित किया जायेगा।

(8)<u>रोपित पौधो सततनिगरानी एवं संधारण</u>

- प्रत्येक विभाग के वृक्षारोपण प्रभारी वनमित्रों की सहायता से यह सुनिश्चित करेगे कि उनको आंवटित लक्ष्य के विरूद्ध लगाये गये हर पौधे की सतत निगरानी, खयाल, रखरखाव, निरन्तर जन भागीदारी, गैर सरकारी सस्थानो, एवंस्वयंसेवकों की सहायता से निरन्तर की जाती रहें।**न्यूनतम तीन वर्षो तक वृक्षारोपणें का संधारण महानरेगा/विभागीय योजना में किया जाना सुनिश्चित करेगे।**
- प्रत्येक4 माह में हर पौधे की कुशलक्षेम एवं विकास की फोटो संबंधित वृक्षारोपण प्रभारी के द्वारा हरियालो राजस्थान ऐपपर निरन्तर अपलोड की जायेगी।
- जिला स्तरीय टास्क फोर्स भी जिले में लगायेगयेपौधो के संधारण हेतु विभिन्न विभागीय चालू प्रयोजनाओ, जन भागीदारी एवं नियमित सामजिक उत्तदायित्व (CSR)के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

(अपणा अरोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय राज्य वन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर.....।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त मुख्य वन संरक्षक मार्फत प्रमुवस कार्यालय।
9. समस्त जिला कलेक्टर।
10. समस्त उप वन संरक्षक /उप वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान मार्फत प्रमुवस कार्यालय
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.: 12794018